



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट एत्माद्दौला जनपद आगरा।

दिनांक 08.06.2022

थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 08.02.2020 को वादी ने थाने पर तहरीर दी कि मेरी नाबालिग पुत्री को स्वामी अपने भाई दिलीप व अपने मित्र नासिर के सहयोग से बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर मु0अ0सं0 88/2020 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एत्माद्दौला को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 08.06.2022 को थाना पुलिस टीम थाना क्षेत्र में गश्त करती हुयी रामबाग चौराहा पर पहुंची। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त इस समय मछली पुलिया पर कही जाने की फिराक में खडा है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्तगण भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. सौरभ उर्फ स्वामी पुत्र स्व0 राकेश कुमार उर्फ मुल्ला जी निवासी इन्द्रा ज्योति नगर टेडी बगिया थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 363/366 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यदेव शर्मा थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

02. उ0नि0 योगेश कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

03. है0का0 तहसीन थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।